प्रेस नोट थाना रोजा
जनपद शाहजहाँपुर

सराहनीय कार्य दिनांक 02.06.2025

थाना रोजा पुलिस टीम द्वारा जान से मारने की नियत से फायर करने वाले 01 वाँछित अभियुक्त को मय घटना मे प्रयुक्त एक अदद अवैध तमन्चा व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर सहित किया गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार , अपर पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन, क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक थाना रोजा के नेतृत्व में अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान एवं अपराध में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी के क्रम में थाना रोजा पुलिस टीम द्वारा जान से मारने की नियत से फायर करने वाले 01 नफर वाँछित अभियुक्त को मय एक अदद अवैध तमन्चा व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर सहित गिरफ्तार किया गया।

दिनांक 02.06.2025 को वादी श्री अनूप वर्मा पुत्र श्री अट्टे लाल वर्मा, निवासी ग्राम सिमरई थाना रोजा, जनपद शाहजहाँपुर द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना रोजा पर मु0अ0सं0 322/25 धारा 109(1)/352 बी0एन0एस0 बनाम संजय वर्मा पुत्र गुप्ता निवासी ग्राम सिमरई, थाना रोजा, जनपद शाहजहाँपुर पंजीकृत कराया गया था। मुकदमा उपरोक्त में त्वरित कार्यवाही करते हुए थाना रोजा पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 02.06.2025 को समय 14.30 बजे मुखबिर की सूचना पर थाना रोजा क्षेत्र में मेजबान होटल से पूर्व की तरफ सीतापुर हाइवे लिंक रोड से अभियुक्त संजय वर्मा पुत्र गुप्ता उम्र करीब 25 वर्ष नि0 ग्राम सिमरई, थाना रोजा, जनपद शाहजहाँपुर को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अदद अवैध तमन्चा व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण : -

संजय वर्मा पुत्र गुप्ता उम्र करीब 25 वर्ष निवासी ग्राम सिमरई, थाना रोजा, जनपद शाहजहाँपुर

पंजीकृत अभियोग का विवरण :-

मु0अ0सं0 322/25 धारा 109(1)/352 बी0एन0एस0 व 3/25/27 आयुध अधि0 थाना रोजा, जनपद शाहजहाँपुर

बरामदगी का विवरण:-

1. एक अदद अवैध तमन्चा 315 बोर
2. एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण :-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री राजीव कुमार
2. उ0नि0 श्री सुमित कुमार
3. का0 1859 प्रेमपाल सिंह
4. का0 2207 अर्जुन